पत्र संख्या-आडिट-सामान्य/कम्प्यूटर परिपत्र सख्या - 0809055 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

(आडिट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: अगस्त 21, ,2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पर दिनांक 20-08-2008 को महालेखाकार (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश,लखनऊ तथा कमिश्नर,वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में महालेखाकार के अधिकारियों के द्वारा पार्ट-2ए तथा पार्ट-2बी के अनिस्तारित प्रस्तरों की बढ़ती हुई संख्या पर चिन्ता प्रकट की गयी तथा यह भी बताया गया कि सम्परीक्षा दल के द्वारा कर-निर्धारण अधिकारियों के आडिट के समय अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह दो जोनल एडीशनल कमिश्नर के स्तर पर महालेखाकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक रखकर पार्ट-2ए तथा पार्ट-2बी के अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण की समीक्षा कर ली जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में बड़ी संख्या में अनिस्तारित प्रस्तरों को कम किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन प्रस्तरों का निस्तारण हो चुका है और वे महालेखाकार के यहाँ अनिस्तारित हैं, उनसे सम्बन्धित अनुपालन रिपोर्ट की फोटो प्रतियाँ महालेखाकार के अधिकारियों को इस मध्य प्राप्त करा दी जायं। इस सम्बन्ध में प्रत्येक माह आयोजित जोनल बैंठक का कार्यक्रम निम्न प्रकार निश्चित किया जाता है :-

क्रमसंख्या	पुराने जोन का नाम	बैठक की अवधि
1-	गोरखपुर	10-09-2008 से 12-09-2008 तक
2-	झाँसी	22-09-2008 से 26-09-2008 तक
3-	बरेली	13-10-2008 से 15-10-2008 तक
4-	मुरादाबाद	22-10-2008 से 24-10-2008 तक
5-	मेरठ	10-11-2008 से 12-11-2008 तक
6-	सहारनपुर	17-11-2008 से 19-11-2008 तक
7-	इलाहाबाद	10-12-2008 से 12-12-2008 तक
8-	वाराणसी	17-12-2008 से 19-12-2008 तक
9-	अलीगढ़	12-01-2009 से 14-01-2009 तक
10-	आगरा	21-01-2009 से 23-01-2009 तक
11-	लखनऊ	10-02-2009 से 12-02-2009 तक
12-	कानपुर	16-02-2009 से 18-02-2009 तक
13-	गाजियाबाद	10-03-2009 से 12-03-2009 तक
14-	नोएडा	16-03-2009 से 18-03-2009 तक

क्रमश: पेज-2 पर

उपरोक्त अवधि में महालेखाकार के अधिकारियों से मीटिंग के उपरान्त निस्तारित प्रस्तरों तथा अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय ।

बैठक में महालेखाकार के अधिकारियों के द्वारा सम्परीक्षा दल के कर-निर्धारण कार्यालयों में बैठने की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ठ किया गया तथा यह अपेक्षा की गई की बड़े कार्यालयों में सम्परीक्षादल के लिए एक अलग केबिन/कमरा निर्धारित कर दिया जाय तथा अन्य कार्यालयों में भी बैठने के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जायं । अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सम्परीक्षादल के बैठने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव,कर एवं निबन्धन,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ ।

2- महालेखाकार(वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)उत्तर प्रदेश, लखनऊ शाखा-इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अवधि में जोनल कार्यालयों में जाने वाले सम्परीक्षादल के जाने की तिथियों की पुष्टि तथा कार्यालयवार,वर्षवार अनिस्तारित प्रस्तरों की सूचना समय से पूर्व सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को आपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि निस्तारित प्रस्तरों से सम्बन्धित रिपोर्ट की फोटो प्रतियाँ तैयार कराके सम्परीक्षादल को उपलब्ध करायी जा सके ।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत करायें ।

4- मैनुअल/विधि/जनसम्पर्क/कम्प्यूटर/स0के0 अनुभागों को 5-5 प्रतियों सहित ।

5- आडिट अनुभाग को 25 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

आर0के0 त्रिपाठी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आडिट)वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।